न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/49/2018	11–05–2018	03–07–2019

01– रामदयाल पुत्र नारायण जाति मीना निवासी ग्राम नैथला तह० मालाखेड़ा जिला अलवर।
02– मुकेश पुत्र लक्ष्मण जाति मीना निवासी ग्राम नैथला तह० मालाखेड़ा जिला अलवर।
03– राजू पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासीयान ग्राम नैथला तह० मालाखेड़ा जिला अलवर।
04– गुड्डी पत्नि धोल्या जाति मीना निवासीयान ग्राम नैथला तह० मालाखेड़ा जिला अलवर।

—अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार, मालाखेड़ा जिला अलवर —रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेड़ा
दिनांक 23.01.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 36/2016

उपस्थितः— —वकील अपीलाण्ट

01—श्री गोविन्दराम यादव

:-निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 23.01.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम नैथला के सरकारी चारागाह बा0 2 भूमि आराजी खसरा नम्बर 849/0.38 है0, 850/0.40 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नैथला के सरकारी चारागाह बा0 2 भूमि आराजी खसरा नम्बर 849/0.38 है0, 850/0.40 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2016 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। उक्त आराजी से संबंधित दुरूस्ती का दावा अदालत सहायक जिलाधीश अलवर के यहां विचाराधीन है। अतः अपीलार्थी को पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि उक्त आराजी से संबंधित प्रकरण अदालत सहायक जिलाधीश अलवर के यहां विचाराधीन है। जिसमें अपीलांट के अधिकारों का विनिश्चय किया जाना है। तब तक न्यायालय हाजा उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं समझता है। अदालत सहायक जिलाधीश अलवर में विचाराधीन प्रकरण में निर्णयानुसार तहसीलदार मालाखेड़ा प्रकरण में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/07/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)